



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244664
CG-DL-E-24032023-244664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1368]
No. 1368]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(बाल कल्याण-I अनुभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2023

का.आ. 1421(अ).—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीख से तीन वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु होने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नाम	क्षेत्र	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1.	डॉ. दिव्या गुप्ता	बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास	07.03.2023
2.	डॉ. आर.जी. आनंद	बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र	07.03.2023
3.	श्रीमती प्रीति भारद्वाज दलाल	बच्चों से संबंधित कानून	07.03.2023

[फा. सं. 31/106/2015-अवर सचिव (सीडब्ल्यू-I) का कार्यालय (10437)]

इंद्रा मल्लो, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**(Child Welfare-I Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th March, 2023

S.O. 1421(E).— In pursuance of Section 4 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Government of India hereby appoints the following persons as Members, National Commission for Protection of Child Rights with effect from the date as mentioned against their names, for a period of three years from the date of joining, or until the age of 60 years, or until further orders, whichever is the earliest:

S. No.	Name	Fields	Date of Joining
1.	Dr. Divya Gupta	Child health, care, welfare or child development	07.03.2023
2.	Dr. R.G Anand	Child Psychology or Sociology	07.03.2023
3.	Smt. Preeti Bharadwaj Dalal	Laws relating to children	07.03.2023

[F. No 31/106/2015-O/O US(CW-I) (10437)]

INDRA MALLO, Jt. Secy.